MARCH 2011

The Hindu, Thursday, March 24, 2011

Panchayats must have a crucial role in spreading hygiene: President

New Delhi: President Pratibha Patil on Wednesday underlined the need to assign panchayats a crucial role in spreading hygiene and inculcate sanitation as a habit among children to raise a healthy generation.

Addressing a function organized by the Drinking Water and Sanitation Department under the Ministry of Rural Development, the President said a clean village was an important as a productive village and exhorted that sanitation issues were as important as development issues.

Ms.Patil gave away Nirmal Gram Puraskar to 21 gram panchayats and one block panchayat for attaining total sanitation, free of open defecation.

She said involvement of panchayats in developmental programmes ensured better implementation of schemes at the ground level and prescribed constant and vigorous exercises to impart proper training to panchayat members. The need is to use the panchayats as knowledge kiosks for creating awareness.

Ms.Patil underlined the need to focus on the sanitary needs of women, adolescent girls in village and infants and children. To take the sanitation programme forward she suggested appointing women as "ambassadors of sanitation."

The anganwadi workers should be motivated to make children adopt good sanitary habits. Similarly, schools should work to inculcate sanitation and hygiene habits in students.

"Health and good hygiene behavior at an early stage in children can ensure a generational change."

Children should be taught that toilets are part of the house and the school and it must have the same level of cleanliness as in the rest of the house and the classroom, Ms.Patil said and suggested hygienic practice for the use of toilets as they were used by others too.

"When you leave it after use, leave it clean for the next user. You should not feel hesitant in cleaning the toilet." Underscoring that about 1,000 children die every day due to diarrhea-related diseases, Ms.Patil called for integrating hygiene issues into the fields of public health policies, education and community welfare.

Union Minister of Rural Development Vilasrao Deshmukh announced a new programme to attain a personal hygiene and solid and liquid management goal in rural areas by 2022.

Hindustan Times, Friday, March11, 2011

Bamboo to be income source for tribals

New Delhi: Bamboo could be a new source of livelihood for tribal's and forest dwellers living in several Naxal-affected areas across India. The environment ministry has decided to define bamboo as grass under the Indian Forest Act of 1927 – a bible for forest bureaucracy in the country – thereby allowing forest- dwellers its harvest.

As of now, bamboo is categorized as a tree, meaning timber, which is under exclusive control of the forest departments. It means that removing bamboo without permission of forest department can result in jail of upto one year. Bamboo, unlike trees, can grow again on its own after harvesting.

The bamboo's definition under the colonial forest act as in violation of the Forest Rights Act of 2006, which defined bamboo as minor forest produce. It meant that even though rights of over million forest dwellers and tribal's were recognized, they did not access to bamboo, a rich forest produce.

"Most bamboo is found in India's poorest tribal areas," said Nandan Saxena, whose film on bamboo Hollow Cylinder promoted MPs to urge the government to change its definition.

Environment minister Jairam Ramesh confirmed to HT that the change was under way and will be announced in couple of days. "It will usher new livelihood avenue for millions of poor living in and around forests, "he said.

The UPA government's decision can improve livelihood of tribal's such as Kangila Devi in Arunachal Pradesh, who gets just fifty paisa for a making pack of 10 sticks of incense, which in the retail market costs more than Rs.20/-. It is because they get bamboo from the licensed harvesters, not directly from forests, their traditional source for centuries.

Bamboo has changed rural economies of China and Taiwan, its biggest exporters in the world. In India, forest department's regulations have been termed as a biggest stumbling block in its wider use.

Shankar Gopalkrishnan of tribal rights group Campaign for survival and Dignity said the poor would not benefit unless right of the people in owning, managing and use of bamboo is respected. "License raj of forest departments should end and the ministry should clearly state that," he said.

Many foresters such as M K Ranjit Singh, a former joint secretary in the environment ministry, do not quite agree. "The benefit to the poor will depend on how the local exercise their right and they don't fall prey to paper mill owners," he said, while asking the government not to allow harvesting bamboos inside 600 protected areas.

The UPA's decision would have little effect if the state governments fail to set up bamboo-intensive industries close to home for tribals.

राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली। मंगलवार • 29 मार्च • 2011

गांव जहां होती है बिना पानी के फसल !

नूंह (मेवात) (एसएनबी)। प्रदेश में जहां नहरी पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है वहीं मेवात जिले के गांव मढ़ी में गेहूं, सरसों सहित अन्य फसलें सदियों से बिना पानी के हो रही है। गांव के लोग इसे एक बुजुर्ग फकीर की दुआ मानते है, वहीं शिक्षित वर्ग इसे खुश्की का कारण बता रहे है। इस गांव में अन्य गांवों की अपेक्षा एक माह पहले फसल पककर तैयार हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव में न तो कोई नहर है और न गांव में डीजल इंजन हैं। इसके बावजूद फसल 15 मार्च से पहले ही पककर तैयार हो जाती है।

गांव वाले कुदरत के इस माजरे को समझ नहीं पा रहे है। ऐसा भी नहीं है कि बिना सिंचाई के फसल का वजन कम बैठता हो बल्कि अन्य गांवों की तरह यहां भी एक एकड़ खेत में 40 से 60 मन तक गेहूं पैदा होता है। गांव के पूर्व सरपंच दीन मोहम्मद ने बताया कि उनके बुजुर्गों के अनुसार गांव में कभी एक फकीर आया था। उसने गांव की एक महिला से खाने को रोटी मांगी। रोटी खाने के बाद जब उस बुजुर्ग ने पीने को पानी मांगा तो महिला ने पानी के लिए मना

- गांव में न तो कोई नहर है न ट्यूबवेल और न कोई डीजल इंजन
- ग्रामीण मानते हैं इसे एक फकीर की दी हुई दुआ

कर दिया और कहा कि बाबा घर में पानी नहीं है। उस फकीर ने महिला को दुआ-बद्दुआ एक साथ दी। दुआ दी कि गांव में फसल बिना सिंचाई के पैदा होगी और अन्य गांवों की अपेक्षा एक महीना पहले फसल पककर तैयार होगी। बद्दुआ पीने के पानी की तंगी रहेगी।

उस बुजुर्ग की दुआ और बद्दुआ का असर आज भी गांव में साफ नजर आता है। पीने का पानी खारी होने की वजह से ग्रामीण आज भी परेशान हैं। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गांव मढ़ी के लोगों को मुहिया नहीं करा सकी। गांव के तैयब हुसैन, हबीब, नेक मोहम्मद का मानना है कि यह सब पानी की खुश्की की वजह से फसल पककर तैयार होती है। उनका मानना है कि गांव में एक भी ट्यूवेल बोरिंग, डीजल इंजन और नहर नहीं हैं।

राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली । शुक्रवार • 25 मार्च • 2011

कृषि क्षेत्र में छाएगी हरियाली

बुवाई क्षेत्रफल बढ़ने से 5.4 प्रतिशत तक की वृद्धि दर का अनुमान

नई दिल्ली (एजेंसी) । चालू वित्त वर्ष 2010-11 में भारत को कृषि क्षेत्र में 5.4 प्रतिशत वृद्धि दर की उम्मीद है जिसका संकेत खरीफ और रबी दोनों सत्र में खेती के क्षेत्रफल और उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि से मिलता है।

सरकारी बयान में यहां कहा गया है, वर्ष 2010-11 की पहली छमाही में कृषि क्षेत्र ने 3.8 प्रतिशत की विकास दर हासिल की गई जबकि उसके पहले के दो वर्षो में विकास दर नकारात्मक 0.1 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत थी। इसमें कहा गया है, पूरे वर्ष में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि एवं सहकारिता विभाग की वार्षिक रपट में विभाग ने हाल के वर्षो में कृषि के क्षेत्र में निवेश वृद्धि एवं पूंजी निर्माण के प्रति संतोष का इजहार किया है।

वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजनावधि के पहले चार वर्षो में कुल परिव्यय 44,413 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जो 10वीं योजनावधि के पूरे पांच वर्ष के 14,952 करोड़ रुपए के व्यय से अधिक है। इसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से संबंधित कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण अथवा निवेश में पर्याप्त वृद्धि का रुख प्रदर्शित हुआ है जो वर्ष 2005-06 के 15.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 22.3 प्रतिशत हो गया। इसमें कहा गया है कि कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में वर्ष 2009-10 में पूंजी निर्माण और संबंधित गतिविधियां 1.3 लाख करोड़ रुपए की थी। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमानों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा वर्ष 2006-07 के 17.4 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 14.2 प्रतिशत रह गया है।

कृषि मंत्रालय का मानना है कि जीडीपी में कृषि का घटती हिस्सेदारी तेजी से विकसित होती और ढांचागत बदलाव का सामना करती अर्थव्यवस्था का अपेक्षित परिणाम ही है। कृषि विभाग का ध्यान 2010-11 में कृषि क्षेत्र के लिए अधिक निवेश आकर्षित करने, उपज के अंतर को पाटने, गुणवत्ता वाली लागतों की समय पर एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों को पर्याप्त समर्थन प्रदान करने पर रहा।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 17 मार्च 2011

कृषि के लिए संजीवनी

कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए विशेष प्रावधानों से इस क्षेत्र में नई जान पड़ती देख रहे हैं राजेंद्र सिंह

इस साल के बजट को कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संजीवनी कहा जा सकता है। पिछले कई वर्षों से कृषि की विकास दर में जो ठहराव या गिरावट आ रही थी, उसमें 5.4 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है। बजट में राष्ट्रीय कृषि योजना के लिए 7,860 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसमें नई कृषि योजनाओं के लिए 2,200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। खाद्यान्न मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए सब्जी, दलहन, तिलहन, मोटे अनाजों-ज्वार, बाजरा के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही पूर्वी भारत में दूसरी हरित क्रांति के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में कृषि ऋणों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी को ध्यान में रखकर मार्च 2000 तक कृषि ऋण का बजट 3,75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,75,000 करोड़ कर दिया गया है। इसका एक और आकर्षण यह भी है कि जो कृषक अल्पकालीन ऋण (फसली ऋण) निर्धारित समय से जमा करते हैं, उन्हें ब्याज का अनुदान वर्तमान दो प्रतिशत से बढ़ा कर तीन प्रतिशत कर दिया गया है।

कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ग्रामीण मूलभूत विकास निधि को पिछले बजट के 16,000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 18,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में भंडारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। इसी तरह शीतगृहों और अन्य सप्लाई चेन से संबंधित प्रौद्योगिकी को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है। शीतगृहों के उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क घटाकर ढाई प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही शीतगृह कन्वेयर बेल्ट और रेफ्रिजरेशन पैनल पर आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे देश में भंडारण क्षमता में 3.2 करोड़ टन की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है।

बजट में 15 मेगा फूड पार्कों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस बजट को एक मामले में ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है क्योंकि लंबे समय से लंबित मिट्टी के तेल, उर्वरकों, खाद्यान्न एवं कुकिंग गैस पर प्रत्यक्ष रूप से सीधे लाभार्थियों को नकद छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। इस कदम का उद्देश्य खाद्यान्न वितरण प्रणाली को अधिक

सीधा लाभ

• मिट्टी के तेल, उर्वरकों, खाद्यान्न एवं कुकिंग गैस पर प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थियों को नकद छूट देने का प्रस्ताव स्वागतयोग्य है

कारगर और बेहतर बनाना है। इसके लिए पिछले सप्ताह यूआइडीएआइ के अध्यक्ष नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह दल जून 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मार्च 2012 से इस प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव है।

वर्तमान में मिट्टी का तेल कम दाम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को दिया जा रहा है। इसी तरह उर्वरकों पर भी छूट सीधे किसानों को दी जा रही है। आज सब्सिडी का भार उर्वरकों में 54,977 करोड़, खाद्यान्न में 60,600 करोड़ और पेट्रोलियम में 38,386 करोड़ रुपये है जो कुल 1,64,153 करोड़ रुपये है।

प्रस्तुत बजट में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के प्रात्साहन के लिए 100 करोड़ रुपये की एक निधि बनाई गई है जो छोटी संस्थाओं को प्रोत्साहन देगी। इस निधि का प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक करेगा। आर्थिक सर्वे में मालेगाम समिति की संस्तुतियों के बारे में जिक्र किया गया है जो भारतीय रिर्जव बैंक के पास विचाराधीन है। माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की आलोचनाओं में अधिक ब्याज दर की वसूली, गरीब परिवारों पर बढ़ता ऋण बोझ और वसूली करने की अव्यावहारिक प्रक्रिया शामिल है। जहां तक इन संस्थाओं के वित्तीय समावेशन में योगदान की बात है वह प्रशंसनीय है। इस क्षेत्र के नियमन के लिए गठित मालेगाम समिति की संस्तुतियों के लागू होने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का मानना है कि इन संस्तुतियों के लागू होने से माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की संख्या में कमी आएगी। इसी तरह इक्रा रेटिंग एजेंसी का कहना है कि इससे इनके व्यवसाय की विकास दर और लाभ में कमी आएगी। क्रिसिल का यह भी कहना है कि न्यूनतम निवल मालियत की सीमा बढ़ जाने से अब इस क्षेत्र में नई संस्थाओं का प्रवेश कठिन हो जाएगा। साथ ही छोटे स्तर की संस्थाओं के लिए पूंजी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इस समिति की संस्तुतियों के लागू हो जाने पर उन माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को बल मिलेगा जिनकी आंतरिक प्रक्रिया मजबूत है और जो पारदर्शिता एवं अभिशासन पर विशेष ध्यान देती हैं। मालेगाम समिति ने इन संस्थाओं द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दरों को 24 प्रतिशत पर सीमाबद्ध कर दिया है। मालेगाव समिति ने निश्चित किया है कि ब्याज दर प्रोसेसिंग शुल्क (जो सकल ऋण राशि के एक प्रतिशत से अधिक न हो) और बीमा प्रीमियम ही ऋण से संबद्ध रहना चाहिए।

इन संस्थाओं की दूसरी बड़ी शिकायत बहुविध वित्त पोषण की है। बहुविध ऋण प्रवृत्ति के कारण एक लाभार्थी कई संस्थाओं से अलग-अलग कार्यों के लिए ऋण ले लेता है या एक ही कार्यकलाप के लिए अनेक संस्थाओं से ऋण ले लेता है। इस प्रवृत्ति से गरीब परिवारों विशेषकर महिलाओं पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ जाता है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक ऋणकर्ता केवल एक ही संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है। साथ ही एक ऋणकर्ता अधिकतम दो संस्थाओं से ही ऋण लेने का पात्र होगा। समिति ने यह भी निश्चित किया है कि एक ऋणकर्ता के लिए सभी ऋणों की बकाया राशि 25,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर वर्तमान बजट कृषि एवं ग्रामीण विकास को एक नई शक्ति प्रदान करेगा।

(लेखक बैंक अधिकारी हैं)